उत्तर प्रदेश शासन

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-5

संख्या-**5/2017/**2242/14-5-2017-7/93

लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा-23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-611/14-5-2012-07/93, दिनांक 20.07.2012 का अधिक्रमण करके राज्यपाल लोकहित में, घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को दिनांक 31, दिसम्बर, 2025 तक, तब तक नहीं काटा जायेगा जब तक कि उक्त वृक्ष सूख न गया हो, या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित विकास कार्य के निष्पादन के लिये इसका काटा जाना आवश्यक हो या आम (मैगीफरा इण्डिका) वृक्ष की स्थिति में, उसकी फलदायी क्षमता सारभूत रूप से क्षीण हो गयी हो, और ऐसे वृक्ष को काटने के लिये सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो :-

क्र0 सं0	सामान्य नाम	वानस्पतिक नाम
1	आम (देशी/तुकमी/कलमी)	मैंगीफेरा इण्डिका
2	नीम	अजेडिरेक्टा इण्डिका
3	साल	शोरिया रोबस्टा
4	महुआ	मधुका लैटीफोलिया

संजय सिंह

सचिव।

संख्या-2242(1)/14-5-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना की अग्रेंजी प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वे उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट दिनांक 25.10.2017 के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख मे प्रकाशित करने व उसकी 1000 प्रतियॉं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।

(5) समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।

(6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(8) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(10) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(11) ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(12) सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।